बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

संकल्प

संख्या–बी०सी०डब्लू०सी०–76/2011 श्र०सं०– 53 पटना, दिनांक– 4.2.2015

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 एवं बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली,2005 के नियम 251 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार को परामर्श देने एवं कार्यकलापों के प्रशासन हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन निम्न रूप से किया जाता है :–

1. श्रमायुक्त, बिहार	पदेन अध्यक्ष
2. केन्द्र सरकार द्वारा मनोनित एक सदस्य	सदस्य
कर्मकारों के प्रतिनिधि	
3. श्री बिन्देश्वरी सिंह, महासचिव, अग्रगामी असंगठित मजदूर यूनियन	सदस्य
4. श्री अरूण कुमार मेहता, महासचिव, बिहार निर्माण मजूदर यूनियन	सदस्य
5. श्री खगेश प्रसाद सिंह, भवन निर्माण मजदूर संघ, कटिहार	सदस्य
6. श्री प्रमोद कुमार (AIUTUC) युनाइटेड ट्रड यूनियन सेन्टर, नाला रोड, पटना ।	सदस्य
7. सोनल सिन्हा, कार्यकारी सदस्य, नेशनल यूनियन ऑफ इनफारमर वर्कस, महिला प्रतिनिधि (भवन निर्माण कामगार के प्रतिनिधि)	सदस्य
नियोजक के प्रतिनिधि	
8. श्री अरूण अग्रवाल, अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना	सदस्य
9. श्री मणिकान्त, बिल्डर्स एसोसियेशन	सदस्य
10. नगर विकास विभाग के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11. श्री पी०के०अग्रवाल, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना	सदस्य
12. बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि	
13. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
14. वित्त विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. विधि विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
16. श्रम संसाधन विभाग के तकनीकी पक्ष के नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
17. श्रम संसाधन विभाग सामान्य पक्ष के नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य

अन्यान्य

(i) बोर्ड का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा ।

(ii) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगी ।

(iii) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, आकस्मिक रिक्ति भरा जान, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता, कार्यो का निपटारा, बैठक की कार्यवृत, शुल्क एवं भत्ता, बोर्ड की शक्तियॉ, बोर्ड के सचिव तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियॉ बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली के नियम– 251 से 264 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा ।

2. पदेन सदस्यों को छोड़कर बोर्ड की सदस्यों की पदावधि उनके नियुक्ति के तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी ।

बशर्त्ते कि सदस्य तबतक रह सकते है जबतक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो । किसी भी स्थिति में सदस्य उनके नियुक्ति के 04 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्यरत नहीं रहेंगे ।

3. बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम– 259 के उप नियम (1) एवं (2) एवं बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 144 (1) यथा संशोधित, के अधीन सरकार ने निर्णय लिया है कि समिति के सभी गैर सरकारी सदस्य जो उस स्थान के नहीं हो, जहॉ बैठक हो रही है, यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ पी०बी०–2 ग्रेड पे– 5400/– रूपये के वेतन के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी माने जायेगें तथा यात्रा भत्ता निम्न प्रकार से नियमानुसार देय होगा –

1– ट्रेन भत्ता – ए०सी० 2टीयर

2– सड़क भत्ता – गैर ए०सी० टैक्सी

3– दैनिक भत्ता (बी०–1 शहर के लिए) सामान्य – रू० 1500.00 प्रतिदिन

(i) होटल में आवास – रू० 1500.00

(ii) शहर में यात्रा भत्ता– रू० 150.00 प्रतिदिन

(iii) खाना इत्यादि – रू० 200.00 प्रतिदिन अधिकतम

सदस्यों को यह भत्ता या विरामभत्ता उसी दशा में मिलेगा जब वे प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने यात्रा या विरामभत्ता के लिए जो दावा किया है, इसके संबंध में उन्होंने किसी दूसरे श्रोत से कोई यात्रा या विरामभत्ता नहीं लिया है ।

(iv) रेल या बस से जुड़े स्थानों के लिए टैक्सी या निजी गाड़ी से की गयी यात्रा के लिए भत्ता सदस्यों के लिए अनुमान्य नहीं होगा ।

(v) समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता विपत्रों को श्रमायुक्त, बिहार के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त विपत्र में अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को राजपत्र के गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा सदस्यों को भेजी जाय ।

ह०/–
(देवनन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– बी०सी०डब्लू०सी०–76 / 2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह० / –

(देवनन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– बी०सी०डब्लू०सी०–76 / 2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– बोर्ड के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह० / –

(देवनन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– बी०सी०डब्लू०सी०–76 / 2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह० / –

(देवनन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– बी०सी०डब्लू०सी०–76 / 2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी उप श्रमायुक्त / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / मुख्य कारखाना निरीक्षक / सभी कारखाना निरीक्षक / सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह० / –

(देवनन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– बी०सी०डब्लू०सी०–76 / 2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महानिदेशक, श्रम कल्याण–सह–संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह० / –

(देवनन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– बी०सी०डब्लू०सी०–76 / 2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / मुख्यायल स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह० / –

(देवनन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– बी०सी०डब्लू०सी०–76 / 2011 श्र0सं0– 53 पटना, दिनांक– 4.2.2015

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

4.2.15

(देवनन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

D/ Hindi letter New 417